नम्बर अहकाम तामील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

पेशल संख्या:– 369 / 2020 निर्णय दिनांक :– 25.07.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. जगदीश पुत्र पोलू जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी डाबरकला तहसील देवली, जिला–टोंक (राज.)
2. देवलाल उर्फ पप्पू पुत्र पोलू जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी डाबरकला तहसील देवली, जिला–टोंक (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. गजानन्द पुत्र दीपाचंद जाति दर्जी उम्र बालिग निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री राजेश कुमार जैन
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1
तहसीलदार देवली
अप्रार्थीगण संख्या 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात हाल खाता संख्या 29 में वर्णित भूमि ख0नं0 463 रकबा 0.77 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.77 है0 वाके तनग्राम डाबरकला पटवार हल्का डाबरकला तसहील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ही आराजी ख. नं. 484 आम रास्ता में से होकर अप्रार्थी नं. 1 की खातेदारी की भूमि ख. नं. 462 रकबा 0.84 है0 में से होकर बने हुए रास्ते से अपनी खातेदारी की भूमि में आते–जाते रहे है तथा काश्तकारी कार्य करते रहे है जो आज भी मौके पर काबिज–काश्त नहीं है और रास्ते के रूप में उपयोग–उपभोग हो रहा है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि पर आने जाने वाला रास्ते में अप्रार्थी नं. 1 के द्वारा उक्त कदीमी रास्ते में कांटो की बाड़ लगाकर व मिट्टी का डोल लगाकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी की भूमि में आने जाने व काश्तकारी कार्य करने हेतु विधिवत रूप से रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रार्थीगण को

रण नं. 2 में वर्णित अप्रार्थी नं. 1 की उक्त भूमि में से रास्ता दिलवाना आवश्यक है। यदि प्रार्थीगण को उक्त भूमि में से रास्ता नहीं दिलवाया गया तो प्रार्थीगण अपनी भूमि में काश्त नहीं कर पायेगे तथा प्रार्थीगण व इनके परिवारजन भूखे मर जायेंगे। अप्रार्थी नं. 2 लेण्ड होल्डर होने के कारण प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण की आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। प्रार्थीगण रास्ते की नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने उपयोग–उपभोग करने हेतु प्रार्थना पत्र के पेरा नं. 2 में वर्णित अप्रार्थी नं. 2 की भूमि में से लगभग 15 फीट रास्ता नियमानुसार दिलवाने के आदेश फरमावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का इन्द्राज किये जाने की आज्ञा फरमावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश जैन ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:–प्रार्थना पत्र का चरण नं0 1 गलत है, अस्वीकार है। ख. नं. 463 काफी बड़ा रकबा हे जिसमें से ख. नं. 463/2282, 463/2382, 463/2395 खसरा नम्बर बनाये गये तथा चारो नम्बर का एक ही खेत है। वर्तमान में खेत पड़त नहीं है। पूर्व में सरसो की फसल प्रार्थीगण ने काश्त की है। वर्तमान में भी प्रार्थीगण ने अपने खेत में फसल काश्त कर रखी है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 2 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 462 रकबा 0.84 है0 में से होकर अपनी भूमि में नहीं गये और ना ही रास्ता बना हुआ है। बल्कि प्राथीगण ख. नं. 384 जो डाबर से अजमेर देवली रोड़ जाता है तथा खसरा नम्बर 465 जो सिवायचक है, वाले आम रास्ता से अपनी भूमि पर आ जा रहे है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 3 गलत है, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी ने अपनी आराजी के चारे तरफ बरसो पूर्व ही डोल तथा कांटो की बाड़ लगा रखी है तथा खसरा नम्बर 484 की दिशा की ओर पक्के मकान का निर्माण कर रखा है तथा इसी दिशा की ओर आम, नींबू व अमरूद के पौधे लगे हुये है जो बरसो से लगे हुये है जो वर्तमान में लगभग 10–10 फीट के मौके पर है। प्रार्थीगण नाजायज रूप से अप्रार्थी को हेरान परेशान करना चाहते है इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हुये प्रार्थीगण

गलत तथ्य वर्णित करते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। र्थना पत्र का चरण नं. 4 ता 7 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। अतः जवाब र्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से जबाब/रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2021/331 दिनांक 25.05.21 पेश की गई थी जिसमें तहसीलदार देवली ने केवल 2 मीटर चौड़ा रास्ता व लम्बाई 200 मीटर प्रस्तावित की थी जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा 2 मीटर चौड़ाई रास्ते के लिए कम होने पर आपत्ति प्रकट की गई। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार देवली से पुनः रिपोर्ट ली गई जो इस प्रकार हैः—प्रार्थी का अपनी खातेदारी पर पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 4.57 मी. व लम्बाई 116 मी. होगी इस प्रकार रास्ते का कुल क्षैत्रफल 4.57 मी. X 116 मी = 530.12 वर्ग मी. होगी। ग्राम डाबरकला की डीएलसी दर 326935 प्रति है0 है जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 34663/—रूपये होगी। आवेदक की आराजी खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी ग्राम डाबरकला के आराजी ख. नं. 462 रकबा 0.84 है0 में से रास्ता चाहता है जिसको नक्शा ट्रेस में लाल स्यांही से चिन्हित कर दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई पेड़, दीवार आदि कोई संरचना नहीं है। अप्रार्थी उक्त रास्ता देने के लिए सहमत नहीं है। वादी ने रास्ता 462 की पूर्वी मेंड़ से लगता मांगा था परन्तु पूर्वी मेंड पर पक्का मकान होने के कारण पश्चिमी मेंड पर प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, की दो प्रति और डीएलसी दर की छायाप्रति संलग्न कर श्रीमान जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी को स्वयं की आराजी में पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। अतः तहसीलदार जी की रिपोर्ट अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर तरमीम करवाने के आदेश प्रदान करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन या कि प्रार्थीगण कभी भी अप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी भूमि ख. नं. 462 से कभी भी जाते नहीं रहे है। प्रार्थीगण केवल अप्रार्थीगण को हानि पहुंचाने की नियत से यह प्रार्थना त्र न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थीगण के ख0नं0 465 जो सिवायचक भूमि से आते जाते रहे है। तहसीलदार द्वारा भी मिलीभगत गलत रिपोर्ट बनाई गई जो है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अतः रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के ख. नं. 463 मे जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस बाबत अप्रार्थीगण संख्या 1 ने अन्य कोई रास्ता विधिवत तरीके से नहीं बताया है। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आराजी ख. नं. 463 में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है और रास्ते में अन्य कोई संरचना दीवार, पेड़ इत्यादि नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है की रिपोर्ट व लाल स्याही से दर्शित नक्शा ट्रेस अनुसार वाके ग्राम डाबरकला के ख. नं. 462 में चौडाई 4.57 मी. व लम्बाई 116 मी. अर्थात रास्ते का कुल क्षैत्रफल 4.57 X 116 = 530.12 वर्ग मीटर है, ग्राम डाबरकला की डीएलसी दर 326935 प्रति है0 है, के अनुसार क्षैत्रफल 530.12 वर्ग मीटर के लिए दुगनी प्रतिकर राशि 34663/–रूपये अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि से पुनः गणना कर, जमा करे और रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, नक्शा ट्रेस अनुसार मौके पर तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थी संख्या को उसके हिस्से अनुसार प्रदान करे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली